न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या – 11/2023

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेन्टस
01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झवर जिला जोधपुर ग्रामीण।		01 राणकी पत्नि नरसीगराम 02.कालकी पुत्री नरसीगराम 03.बेबी पुत्री नरसीगराम 04.श्यामा पुत्री नरसीगराम 05.जगाराम पुत्र नरसीगराम 06.प्रेमाराम पुत्र नरसीगराम 07.बुधाराम पुत्र नरसीगराम 08.सुरज पुत्र टीकमदास 09.धन्नाराम पुत्र दुर्गाराम 10.नारायणराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेधवाल निवासी झवंर तहसील झंवर जिला जोधपुर 11.सरपंच ग्राम पंचायत झंवर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3151 ग्राम पंचायत झंवर द्वारा दिनांक 10.06.2023 को स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण खारिज किया जाने के विरूद्ध पेश किया गया ।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – सरकारी पैरोकार उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1,5,6,7 की ओर से अधिवक्ता नवीन शर्मा उपस्थित।
3. .शेष रेस्पोडेन्ट सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

:: आदेश ::

दिनांक : 7/10/2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 3151 दिनांक 10.06.2023 ग्राम झंवर ग्राम पचायत झवर तहसील झंवर जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण किया गया जिस के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पटवार मण्डल झंवर के राजस्व गांव झवंर की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 जो कि 2079 से स्थाई जमाबन्दी के खाता संख्या 262 के खसरा नम्बर 104 रकबा 6.2888 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय खसरा नम्बर 132 रकबा 1.8292 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम एव खाता संख्या 263 के खसरा 133 रकबा 1.8454 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि नरसिगराम के वारिसान रेस्पोडेण्ट के शामलाती हिस्से मे अवस्थित है। मंहगाई राहत कैम्प बडलानगर दिनाक 02.06.2023 को प्रार्थीया राणकी देवी द्वारा सरपच ग्राम पंचायत झंवर से तस्दीकशुद्वा प्रार्थना पत्र मृतक डायाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज तत्कालीन पटवारी श्री विकास धायल को उपलब्ध करवाये गये कि राणकी देवी पत्नि नरसिगराम का पुत्र डायाराम जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 21.10.2021 को अविवाहित लाओलाद फैात होने के कारण अभियान मे तत्कालीन पटवारी द्वारा विधिक राणकी देवी के नाम दर्ज करने की बजाय राणकी देवी पत्नी नरसिगराम का नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 3151 दर्ज करते समय पृथक कर दिया जिसमे नामान्तरकरण की सम्पूर्ण प्रकिया (Null and

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

ineffecfive) हो गई जो वर्तमान मे राणकी देवी पत्नि नरसिगराम जीवित है उक्त नामान्तरकरण संख्या 1351 प्रभाव मे आने से पूर्व राणकी देवी का नाम खसरा नम्बर 104,132,133 मे बतौर खातेदार नाम दर्ज था जो कि त्रुटि पूर्ण नामान्तरकरण दर्ज होने से हटाया गया है जो कि पुनः विधिक प्रक्रिया के तहत उक्त खसरो मे बतौर खातेदार दर्ज होने के हकदार है कि ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 132,133 व 104 मे तत्कालीन पटवारी झंवर द्वारा प्रार्थीनी राणकी देवी का नाम विरासत के नामान्तकरण संख्या 1351 के द्वारा जो कि त्रुटि पूर्ण नामान्तरकरण दायर कर सरपंच झंवर द्वारा स्वीकृत किया गया जिसको प्रभाव शून्य किया जाना हैं कि भूमिधारी की हैसियत से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1351 दिनाक 10.06.2023 को निरस्त करवाया जाकर पुन मृतक डायाराम के विधिक वारिसान जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसरण मे प्रथम श्रेणी की वारिसान मृतक की माता राणकी देवी जो कि विधिक वारिसान की श्रेणी मे अवस्थित है राणकी देवी के पति के हिस्से की भूमि मे भी विधिक प्रक्रिया अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दायर करने हेतु न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिली शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1,5,6,7 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया बहस सुनी गई पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से अपीलाण्ट के पक्ष मे अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होना पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर ग्राम झंवर ग्राम पंचायत झवंर के नामान्तरकरण सख्या 1351 दिनाक 10.06.2023 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार झंवर को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है नये सिरे से जॉच कर नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कोसोदिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 7/10/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।